



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

संशोधित

क्रमांक / 1112 / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 9/9 / 2020

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर नवा रायपुर(छ.ग.)

विषय:- छ0ग0 राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित की विद्यमान 132 के.व्ही. उपकेन्द्र कोड़ातराई से प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ग्राम जुर्दा जिला रायगढ़ तक 132 के.व्ही. डी.सी. डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC एवं प्रदर्श "स" में आवेदित वनक्षेत्र 9.511 हे. को सुधार कर 9.589 हे. करने बाबत।

संदर्भ:- कार्यपालन अभियंता अ.उ.द.निर्माण संभाग छ.रा.वि.पारे.कं. मर्यादित बिलासपुर के पत्र क्रमांक 620 रायगढ़ दिनांक 19.08.2020।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ0ग0 राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित की विद्यमान 132 के.व्ही. उपकेन्द्र कोड़ातराई से प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ग्राम जुर्दा जिला रायगढ़ तक 132 के.व्ही. डी.सी. डी. एस. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले भासकीय राजस्व वन भूमि जो तहसील पुसौर के ग्राम बासनपाली, राईतराई, बुलाकी, कंवरीहा, लिजिर, लोहरसिंग, झारमुड़ा, औरदा, मौहापाली, डुमरमुड़ा, दरमुड़ा, गुडगहन एवं नावापाली तथा तहसील रायगढ़ के ग्राम जुर्दा, में स्थित शासकीय राजस्व वन भूमि जो अभिलेख में छोटे झाड़, घास मद में दर्ज है। उक्त शासकीय भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गयी है। आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी(रा0) रायगढ़ के अनुसार निम्नांकित भूमि को आवेदक कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गयी है जो निम्नानुसार है:-

क्र0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	शासकीय राजस्व भूमि		प्रभावित रकबा (हे0 में)	भूमि का मद
			खसरा नं0	कुल रकबा (हे0 में)		
1	पुसौर	बसनपाली	1	13.500	0.282	शासकीय वन भूमि
2		राईतराई	39	0.930	0.335	शासकीय वन भूमि
3		बुलाकी	389	0.160	0.065	शासकीय वन भूमि
4		कंवरीहा	151	7.981	0.513	शासकीय वन भूमि
			460	0.065	0.032	
5		लिजिर	187	0.167	0.119	शासकीय वन भूमि
6		लोहरसिंग	1011	1.412	0.022	शासकीय वन भूमि
			1081	0.672	0.022	
7		झारमुड़ा	568	0.045	0.045	शासकीय वन भूमि
8		औरदा	444	0.178	0.078	शासकीय वन भूमि
9		मौहापाली	18	0.809	0.254	शासकीय वन भूमि
10		डुमरमुड़ा	157 / 1	7.640	0.335	शासकीय वन भूमि
11		दरमुड़ा	290 / 2	0.073	0.029	शासकीय वन भूमि
			290 / 1	0.073	0.021	
			285 / 1	0.251	0.010	
			286 / 1	0.279	0.058	
			375 / 10	1.214	0.656	

			373 / 1 378एच	0.526 8.094	0.087 0.174	
12		गुडगहन	109	0.454	0.151	शासकीय वन भूमि
13		नवापाली	32 / 1 34	5.252 1.096	0.508 0.108	शासकीय वन भूमि
14	रायगढ़	जुर्डा	31 / 1 31 / 2 31 / 29 20	8.591 2.023 0.162 6.034	0.626 0.232 0.086 1.193	शासकीय वन भूमि
15		पडरीपानी	181	1.214	0.206	शासकीय वन भूमि
16		जुर्डा	17 / 1	12.133	1.152	शासकीय वन भूमि
योग:-		16		81.028	7.399	

अतः अनुविभागीय अधिकारी(रा.) रायगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नाधीन शासकीय राजस्व वनभूमि को छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को 132 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई में प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ग्राम जुर्डा जिला रायगढ़ तक 132 के व्ही. डी.सी. डी. एस. लाइन निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने के लिये वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन देने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जावेगा की उपयुक्त भूमि आवेदक कंपनी को हस्तांतरित करने का निर्णय किया जा चुका है।

पृ. क्रमांक / 1112 A / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 9 / 9 / 2020

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

(5)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अधिकारी, रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक-3920/अ.वि.अ/2019

रायगढ़, दिनांक- 12.07.2019

प्रति,

1. तहसीलदार,

पुसौर/रायगढ़

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जनपद पंचायत, पुसौर/रायगढ़,

जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :-

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की विद्यमान 132 के व्ही. उपकेन्द्र कोड़ातराई से प्रस्तावित एनटीपीसी लिमि. ग्राम जुर्दा जिला रायगढ़ तक 132 के व्ही. डीसी. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :-

1. कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) रायगढ़ पत्र क्रमांक 510 रायगढ़ दिनांक 24.04.2019।

2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3578 रायगढ़ दिनांक 02.05.2019।

—0—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की विद्यमान 132 के व्ही. उपकेन्द्र कोड़ातराई से प्रस्तावित एनटीपीसी लिमि. ग्राम जुर्दा जिला रायगढ़ तक 132 के व्ही. डीसीसी. एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है।

अतः संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में संयुक्त रूप से जांच/सर्वे कराकर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)



o/c

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक-3578/ अ.वि.अ. /2019

रायगढ़, दिनांक- 02.05.2019

प्रति,

तहसीलदार,

पुसौर/रायगढ़

जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की विद्यमान 132 के व्ही. उपकेन्द्र कोड़ातराई से प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. लिमि. ग्राम जुडा जिला रायगढ़ तक 132 के व्ही. डी.सी. डी.एस लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) रायगढ़ का पत्र क्रमांक 510 दिनांक 24.04. 2019।

--0--0--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की विद्यमान 132 के व्ही. उपकेन्द्र कोड़ातराई से प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. लिमि. ग्राम जुडा जिला रायगढ़ तक 132 के व्ही. डी.सी.डी. एस. लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है।

अतः संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में संयुक्त रूप से जांच/सर्वे कराकर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय जनपद पंचायत पुसौर जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/ 1282/ज.पं./2019

पुसौर दिनांक 19.07.2019

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी, (रा.)
रायगढ़ (छ0ग0)

विषय :- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की विधमान 132 के व्ही उपकेन्द्र कोंडातराई से प्रस्तावित एनटीपीसी लिमि. ग्राम जुर्डा जिला रायगढ़ तक 132 के व्ही डीसी. लाईन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त पत्र के संबंध में।

संदर्भ :- आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/3947/अ.वि.प्र./2019 रायगढ़ दिनांक 18.07.2019।

---0---

उपरोक्त विषयांकित के संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्नानुसार ग्राम पंचायत के सम्मुख दाखिल खसरा नं., प्रभावित रकबा के विषयांकित संबंध में वन अधिकार पट्टा जारी किया गया है अथवा नहीं की जानकारी चाही गई है :-

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं.	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5	6
1	रायगढ़	पुसौर	वासनपाली	1	0.282
2			राईतराई	39	0.335
3			हुला की	289	0.065
				151	0.513
4			कवरिहा	460	0.032
5			सिंजिर	187	0.119
				1011	0.022
6			लोहरसिंग	1081	0.022
7			झारमुड़ा	568	0.059
8			औरदा	444	0.007
9			मौहापाली	18	0.254
10			झूमरमुड़ा	157 / 1	0.335
				290 / 2	0.029
				290 / 1	0.014
				285 / 1	0.010
				286 / 1	0.058
				375 / 10	0.656
				373 / 1	0.087
11			दरामुड़ा	378 एच	0.174
12			गुडगहन	109	0.051
				32 / 1	0.508
13			नावापाली	34	0.108

उपरोक्तानुसार ग्राम के ग्राम पंचायत सचिव र. प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त खसरा नं. पर वन अधिकार पट्टा जारी नहीं किया गया है। अतएव अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

प्रमुख कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत पुसौर

प्रति,

श्री मान तहसीलदार साहब

रायगढ़

विषय :- जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ क्रमांक 4032

दिनांक 27-4-2019 एवं कार्या तह. रायगढ़ के पत्र क्र. 3998 दिनांक

15-7-19

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम-जुड़ा में आवेदित भूमि ख.न.

3111 रकबा 8.591 हे. बड़े झाड़ का जंगल ख.न. 3112 रकबा

2.023 हे. छोटे झाड़ का जंगल व घांस ख.न. 2011 रकबा 6.030

छोटे झाड़ का जंगल व घांस ख.न. 1711 रकबा 12.135 हे. से

रकबा क्रमशः 0.626, 0.232, 1.193, 1.152 तथा ग्राम-पण्डरीप

स्थित आवेदित भूमि ख.न. 181 रकबा 1.214 हे. छोटे झाड़ का

जंगल व घांस में से रकबा 0.206 हे. भूमि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत

पारेषण कंपनी मर्यादित की विद्यमान 132 के. वी. उपकेन्द्र

कोड़ातराई से प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ग्राम-जुड़ा जिल

रायगढ़ तर्फ 132 के. वी. डी.ली. डी.एस. लाइन का निर्माण का

हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम-पंचायत

जुड़ा, पण्डरीपानी से चाही गई है, जिसके परिपालन में

नक्शा, खसरा की नकल संलग्न सादर प्रस्तुत ।

ग्राम-जुड़ा स्थित आवेदित भूमि ख.न. 31129 रकबा 0.00

हे. कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन संभाग रायगढ़ के नाम पर

अभिलेख में दर्ज है ।

तदनुसार जांच प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत ।

एम.एल. देवांगन
पटवारी ह.न.
तहसील रायगढ़ (छ.ग.)

पंचनामा

ज्ञान दिनांक 23-7-2019 को ग्राम- जुडी एवं पण्डरीपानी के 132 के.टी. डी.सी डी.एच. लाइन का निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि ख.न. 3111, 3112, 31129, 2011, 1711, रकबा क्रमशः 0.626, 0.232, 0.086, 1.193, 1.152 एवं पण्डरीपानी स्थित ख.न. 181 रकबा 0.206 है। भूमि का स्थल जांच मेरे द्वारा सरपंच ग्राम-पंचायत जुडी, पण्डरीपानी एवं उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष किया गया जिसके अनुसार आवेदित ख.न. 3111 रकबा 2.591 है छोटे झाड़ का जंगल, 3112 रकबा 2.023 छोटे झाड़ का जंगल व घांस, 31129 रकबा 0.089 कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन रायग ख.न. 2011 रकबा 6.034 छोटे झाड़ का जंगल व घांस 1711 रकबा 12.135 छोटे झाड़ का जंगल व घांस तथा ग्राम पण्डरीपानी स्थित आवेदित भूमि ख.न. 181 रकबा 1.214 छोटे झाड़ का जंगल व घांस भू में अभिलेख में दर्ज होना पाया गया।

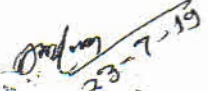
उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर

① होदराय नायक

गोपाल भारद्वाज
टेकनाथ


सरपंच
ग्राम पंचा.पण्डरीपानी (पू.)
जन.पंचा.रायगढ़ (छ.ग.)


सरपंच
ग्राम पंचायत - जुडी
ज.पं., जिला - रायगढ़ (छ.ग.)


23-7-19
एम.एल. देवांगन
पटवारी ह.न. 38
तहसील रायगढ़ (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार पुसौर, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक 593

दिनांक 19/7/19

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- गैर वन भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रदान करने बावत् ।

संदर्भ :-
1. कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) रायगढ़ पत्र क्र. 510 रायगढ़ दिनांक 24.04.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3578 रायगढ़ दिनांक 02.05.2019 ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ क्रमांक 3920 दिनांक 12.07.2019 ।

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में छ.ग.राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा छ.ग.राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.की विद्यमान 132 के.व्ही.उपकेन्द्र कोंडातराई से प्रस्तावित एन.टी.पी.सी.लिमि.ग्राम - जुर्डा, जिला-रायगढ़ तक 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस.लाइन का निर्माण कार्य किया जाना है । राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना आवश्यक है ।


तहसीलदार

पुसौर